

✓ 42 (5)

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय

विषय:-कार्यपालन यंत्री (सिविल) से अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर डी.पी.सी. दि. 02.03.2009 की रिक्त डी.पी.सी. दिनांक 06.05.2013 के परिप्रेक्ष्य में पुनः रिक्त डी.पी.सी. दि. 22.04.2015 का कार्यवाही विवरण।


उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे :-

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | प्रो.एस.पी.गौतम<br>सदस्य<br>म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर   | अध्यक्ष  |
| 2. | श्री राधेश्याम जुलानिया<br>प्रमुख सचिव<br>म.प्र. शासन<br>जल संसाधन विभाग, भोपाल                      | सदस्य  |
| 3. | श्री एम.जी. चौबे,<br>प्रमुख अभियंता<br>जल संसाधन विभाग,<br>भोपाल                                     | सदस्य  |
| 4. | श्री एन.के.परिहार<br>अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)<br>कार्यालय प्रमुख अभियंता<br>जल संसाधन, म.प्र., भोपाल | सदस्य<br>(म.प्र.लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002<br>के नियम-11 के प्रावधान अनुसार) |

कार्यपालन यंत्री (सि.) से अधीक्षण यंत्री (सि.) के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दि. 02.03.2009 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में रिक्त पदों की स्थिति एवं की गई अनुशंसा के आधार पर की गई पदोन्नति की जानकारी निम्नानुसार है :-

प्रवर्ग	पद
अनारक्षित	18
अनुसूचित जाति	02
अनुसूचित जनजाति	00

Amr  
22.04.15





2. मान.उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक 4410/97 एवं 236/98 में पारित आदेश दि.23.07.2007 के पालन के लिए मान.उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 21131/1011 में पारित आदेश दि.12.03.2012 याचिका क्र. 6887/2012 (एस) में पारित आदेश दि. 18.07.2012 एवं उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की याचिका क्र. 5004/2012 में पारित आदेश दि.18.07.2012 के पालन में सहायक यंत्री (सिविल)की पूर्व पदक्रम सूचियों को संशोधित करते हुए वर्ष 1981 में म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा किये चयन के आधार पर सीधी भर्ती के सहायक यंत्री (सिविल) की वरीयताक्रम का निर्धारण आदेश दि. 06.08.2012 द्वारा किया गया।
3. वरिष्ठता पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप डी.पी.सी. दि. 02.03.2009 के परिप्रेक्ष्य में रिव्यू डी.पी.सी. दि. 06.05.2013 को आयोजित कर पात्र अधिकारियों को अधीक्षण यंत्री के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई।
4. अधीक्षण यंत्री (सि.) से मुख्य अभियंता (सि.)के पद की रिव्यू डी.पी.सी. के लिए रोस्टर तैयार करते समय यह प्रकट हुआ कि दि. 02.03.2009 की रिव्यू डी.पी.सी. दि. 06.05.2013 के लिए रोस्टर बनाने में त्रुटि होने से रिक्तियों की गणना में त्रुटि हुई है। त्रुटि का कारण यह रहा है कि पूर्व वर्षों की डी.पी.सी. की रिव्यू डी.पी.सी.करने के बाद कुछ अधिकारियों के नाम मूल डी.पी.सी.के आधार पर रोस्टर में बने रहे, जबकि रिव्यू डी.पी.सी. में वे पदोन्नत नहीं हुए थे। रिव्यू डी.पी.सी. के उपरांत जिन अधिकारियों के नाम अधीक्षण यंत्री के रोस्टर से हटाने आवश्यक थे, वे रोस्टर में हटाये नहीं जाने की चूक दृष्टिगत हुई है।
5. अनुभाग अधिकारी, जल संसाधन विभाग द्वारा म.प्र. लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के तहत बनाए गए रोस्टर अनुसार अधीक्षण यंत्री के पद के लिए निम्न रिक्तियाँ बताई गई :-

(अ) शुद्ध रिक्तियाँ :-

वर्ग	अनु.जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु क्रमांक	निरंक	निरंक	निरंक

*Mr.*

*P*

*J*

(ब) प्रतिनियुक्ति से रिक्तियों :-

वर्ग	अनु.जाति	अनु. जनजाति	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु क्रमांक	17, 42	निरंक	18, 26, 35, 38, 40 एवं 46

(स) सेवानिवृत्ति से रिक्तियों :-

वर्ग	अनु.जाति	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित
रोस्टर बिन्दु क्रमांक	निरंक	निरंक	1, 2, 5,

6. उक्तानुसार अनारक्षित 09 एवं अनुसूचित जाति 02 रिक्तियों के लिए रिव्यू डीपीसी बैठक में विचार किया गया।

7. समिति ने निम्न अधिकारियों को अधीक्षण यंत्री (सि) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया :-

(अ) अनारक्षित वर्ग

(i) उपयुक्त

स.क्र.	दिनांक 31.10.2000 का संशोधित वरीयता क्रमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम
1	490-88	श्री रामअवतार शर्मा ✓
2	490-95	श्री प्रकाश बांगडे ✓
3	490-98	श्री अरुणराज सिंह पटेल ✓
4	490-103	श्री लोकेश त्रिवेदी ✓
5	490-105	श्री ओम प्रकाश तिवारी ✓
6	490-106	श्री जय सिंह नखरिया ✓
7	490-109	श्री अशोक कुमार मिश्रा ✓
8	490-113	श्री रूप नारयण गुप्ता ✓
9	490-119	श्री नरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी ✓







(ii) बंद लिफाफे की अनुशंसाए - निरंक

(iii) परिभ्रमण के प्रकरण - निरंक

(IV) विचार नहीं किया :-

स. क	दिनांक 31.10.2000 की संशोधित वरीयता कमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम	कारण
1	490-102	श्री राकेश चन्द्र पाल	निधन एवं गो.प्र. अनुपलब्ध

(ब) अनुसूचित जाति वर्ग

(i) उपयुक्त

स. क	दिनांक 31.10.2000 की संशोधित वरीयता कमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम
1	625-328	श्री रज्जुन रोहित


(ii) बंद लिफाफे की अनुशंसाए - निरंक


(iii) परिभ्रमण के प्रकरण - निरंक

(v) परिभ्रमण बंद लिफाफा प्रकरण -


स. क	दिनांक 31.10.2000 की संशोधित वरीयता कमांक	कार्यपालन यंत्री का नाम	कारण
1	625-170	श्री एस.सी.व्यास	विभागीय जांच एवं वर्ष मार्च 06 एवं 07 एवं 08 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध


(स) अनुसूचित जनजाति वर्ग - पद रिक्त नहीं.

  
(प्रो.एस.पी.गौतम)  
सदस्य  
लोक सेवा आयोग  
अध्यक्ष

  
(राधेश्याम जुलानिया)  
प्रमुख सचिव  
जल संसाधन विभाग  
सदस्य

  
(एम.जी.चौबे)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग  
सदस्य

  
(एन.के.परिहार)  
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
सदस्य

  
22/04/15